न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं0–एम० 67 / 2017

धारा–107 द०प्र०सं०

राधे मुण्डा.....प्रथम पक्ष

बनाम

महादीर मुण्डा वगैरह.....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश
19/01/2018	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, तमाड़ के अप्राथमिकी संख्या–19 / 17, दिनांक–13 / 05 / 17 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारणपश्च्छा दाखिल की गई है, दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक–दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद पूर्व से जमीनी विवाद एवं आपसी झगड़ा के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष की ओर से गवाह संख्या–1 नरपति सिंह ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष में घर बनाने को लेकर जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। विवादित जमीन का खाता संख्या–15, रकबा–16.46 एकड़ है। खाता संख्या–15 का रसीद लालु मुण्डाईन के नाम से कटता है, खतियान में माधो मुण्डा का नाम दर्ज है। माधो मुण्डा, लालु मुण्डाईन के पति है। विवादित जमीन में लालु मुण्डाईन के अंशदार लोग दखल कब्जा में राधे मुण्डा का भी दखल कब्जा है। उक्त भूमि पर राधे मुण्डा घर बना रहा था, उसे ही लेकर झगड़ा शुरू हुआ, उस दिन मैं नहीं था, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कि राधे मुण्डा को द्वितीय पक्ष गाली–गलौज किया था, मारपीट किया था। विवाद को बाद में घर आया तो सुना था। उभय पक्ष के बीच लड़ाई–झगड़ा को नहीं जानता हूँ, जमीन जायदाद के विषय में जानता हूँ उसी को आज गवाही में बोल रहा हूँ। गवाह संख्या–2 नन्द किशोर मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष में घर बनाने को लेकर झगड़ा है। विवादित जमीन का मौजा–आगरा है, घर प्रथम पक्ष बना रहा था, विवादित जमीन माधो मुण्डारी के नाम से दर्ज है, माधो मुण्डारी प्रथम पक्ष के नाना है। प्रथम पक्ष मकान बनाने हेतु मिट्टी से दीवाल दे रहा था, तब द्वितीय पक्ष के लोग दिवाल गिरा दिए, द्वितीय पक्ष द्वारा दीवाल गिराने के बाद गाली–गलौज किया गाया था। मारपीट नहीं हुआ थ। वर्त्तमान स्थिति में उभय पक्ष में मारपीट होने की संभावना है या नहीं मैं नहीं बता सकता हूँ। केस होने के बाद प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष में कोई मारपीट नहीं हुआ है। गवाह संख्या–3 राधे मुण्डा(पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित भूमि खाता संख्या–15 मेरे नाना माधव मुण्डा के नाम से दर्ज है। इसका रसीद मेरी नानी लालु मुण्डाईन के नाम से कटता है, घर बनाया था, विपक्षी मकान को कुदाली से धसा दिया, जिसको लेकर विवाद है।

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

घर घसाने के बाद विपक्षी से मारेपीट नहीं हुआ है।मुँह से बाताबाती हुआ है। घटना की तारीख नहीं जानता हूँ, दिन भी नहीं जानता हूँ और समय भी नहीं जानता हूँ। विपक्षी से मेरा बाताबाती 8–10 साल से नहीं हुआ है।

द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह संख्या–1 रामकिशोर मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष में जमीन को लेकर विवाद है, विवादित जगीन पर खेती बारी महावीर मुण्डा वगैरह लोग कर रहे है। प्रथम पक्ष खाता संख्या–15 में खेती कर रहा है। द्वितीय पक्ष कितना एकड़ जमीन पर खेती कर रहे है, उसे मैं नहीं जानता हूँ। प्रथम पक्ष कितना एकड़ पर खेती कर रहे है, वो भी मालूम नहीं है। उभय पक्ष के झगड़ा के समय मैं नहीं था, पुलिस पूछताछ कर रही थी, उस समय था। उभय पक्षों द्वारा खाता संख्या–15 में खेती किया गया है। उसमें कोई तरह का विवाद नहीं है।

गवाह संख्या–2 महावीर मुण्डा(पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि खाता सं० 15, खेवट नं० 4 के अन्तर्गत आता है। खाता सं० 15 के नजदीकी भाईयाद लोग हमलोग है। खाता संख्या–15 के रैयत माधो मुण्डा, मगन मुण्डा का वंशज था। मैं इन्दी मुण्डा(मगन मुण्डा का भाई) का वंशज हूँ। वर्त्तमान में प्रथम पक्ष मौजा आगरा में खेती नहीं किया है, डाडूहातु मौजा में खेती बारी किया है। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष पर धारा–144 लगाया गया है, जो आगरा मौजा में है, जिसमें महावीर मुण्डा वगैरह खेती किए है व इस विवदित भूमि का धान भी हमलोग काटे है। खाता संख्या–15 को लेकर उभय पक्ष में झगड़ा हुआ है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन, प्रस्तुत गवाहों के ब्यान एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में जमीन को लेकर विवाद है, एवं उभय पक्ष द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद के दौरान शांतिभंग की पुष्टि नहीं हो पाई है। उभय पक्ष खतियानी रैयत से संबंध भूमि से संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की परख हेतु यह सक्षम न्यायालय नहीं है। साथ ही साथ यह वाद उत्तराधिकारी के दावे से संबंधित है। अतः वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है। आहत पक्ष सक्षम न्यायालय के वाद दायर कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)।

19/11/13

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)।